प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र. 1047 / 1997

अपीलार्थी	**:**	**फागु राम**
	//बनाम//	
प्रत्यर्थी	**:**	**छत्तीसगढ़ राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 22.06.2012 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

प्रकाशनार्थ

अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र. 1047 / 1997

अपीलार्थी : **फागु राम**

//बनाम//

प्रत्यर्थी : **छत्तीसगढ़ राज्य**

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहित,1973

उपस्थित: अपीलार्थी हेतु श्रीमती फ़ौजिया मिर्जा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी / राज्य हेतु श्री विवेक शर्मा, पेनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 22.06.2012 को पारित

1. यह अपील रायपुर के सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 419/1995 में दिनांक 23.4.1997 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 376/511 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है, जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 4.7.1995 को लगभग रात 9.45 बजे, अभियोक्त्री (जिसकी उम्र उस समय लगभग ढाई वर्ष थी) की माता लक्ष्मी बाई (अभि.सा.-1) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उस दिन सुबह

लगभग 11 बजे वह किराने की दुकान पर गई थीं और अपनी बेटी (अभियोक्त्री) को घर में खेलते हुए छोड़ गई थीं, जहां उनके मकान मालिक का बेटा अभियुक्त /अपीलार्थी भी सो रहा था। उसने आगे आरोप लगाया कि जब वह दुकान से लौटी, तो उनकी बेटी (अभियोक्त्री) रो रही थी और पूछने पर उसने अपना अंतर्वस्त्र उतार दिया। जांच करने पर, उसने बेटी के गुप्तांग में सूखे वीर्य जैसे सफेद पदार्थ के अलावा लालिमा और सूजन पाई। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो बेटी ने बताया कि अभियुक्त /अपीलार्थी ने उसे चारपाई पर लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग करने का प्रयास किया था। इस प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर, अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 376/511 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, उसी दिन डॉ. मीरा बघेल (अभि.सा.-8) के द्वारा अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण की गई और उनकी प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 है। अन्वेषण पूरी होने के बाद, पुलिस ने उक्त अपराध के लिए दिनांक 26.7.1995 को अभियोग पत्र दाखिल किया।

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों का परीक्षण कराया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त /अपीलार्थी का अभिसाक्ष्य अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता और मामले में झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त /अपीलार्थी को दोषी ठहराया और इस निर्णय के कंडिका क्र. 1 में उल्लिखित सजा सुनाई।

5. अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि शिकायत दर्ज कराने वाली लक्ष्मी बाई (अभि.सा.-1) का बयान बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और उसने एक बेहद अविश्वसनीय कहानी सुनाई है। उसका कहना है कि लगभग ढाई साल की बच्ची के लिए घटना को उस तरह से वर्णन करना बिल्कुल असंभव है जैसा कि इस साक्षी ने बताया है। उसका कहना है कि इस बात के साक्ष्य हैं कि अभियोक्त्री ठीक से बोल नहीं पा रही थी और इन परिस्थितियों में यह विश्वास करना असंभव है कि उसने अपनी माँ को कुछ बताया होगा। उसका यह भी कहना है कि हालांकि चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-7) के अनुसार अभियोक्त्री के गुप्तांग पर लालिमा और सूजन पाई गई थी, लेकिन कोई आंतरिक चोट नहीं थी। उनके अनुसार, अभियोक्त्री को यह चोट अन्य कारणों से भी लग सकती थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पुलिस ने अभियोक्त्री का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत इस तथ्य के बावजूद अभिलिखित किया कि वह बोलने की स्थिति में नहीं

थी। उन्होंने तर्क किया है कि जब अभियोक्त्री को दिनांक 23.4.1996 को विचारण न्यायालय में पेश किया गया, तो विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह दर्ज किया कि वह बोलने में असमर्थ थी। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण कराए गए अन्य साक्षियों जैसे अशोक कुमार (अभि.सा.-3), केशव राम (अभि.सा.-4) और केजू राम (अभि.सा.-7) के बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और उनमें महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं। उन्होंने आगे तर्क किया कि अपीलार्थी के पिता और अभियोक्त्री के पिता के बीच पुरानी दुश्मनी थी क्योंकि अभियोक्त्री के पिता उनके घर में किराएदार के रूप में रह रहे थे। अभियोक्त्री के पिता नियमित रूप से किराया देने की स्थिति में नहीं थे और इसी उद्देश्य से लक्ष्मी बाई (अभि.सा.-1) ने अपनी पायल (सांटी) तक बेच दी थी। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि चूंकि अभियुक्त /अपीलार्थी लगभग 28 दिनों तक अभिरक्षा में रह चुका है और घटना लगभग 17 वर्ष पूर्व घटी थी, इसलिए यदि न्यायालय निर्णय के दोषसिद्धि भाग में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उस पर अधिरोपित दण्ड को उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम किया जावे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि लक्ष्मी बाई (अभि.सा.-1) के बयान से स्पष्ट है कि घर पहुँचते ही अभियोक्त्री रो रही थी और उसने उन्हें घटना का विवरण दिया। उन्होंने आगे तर्क किया कि घटना के तुरंत बाद अशोक कुमार (अभि.सा.-3), केशव राम (अभि.सा.-4) और केजू राम (अभि.सा.-7) घटनास्थल पर पहुँचे और उनके सामने अभियुक्त /अपीलार्थी ने न्यायियेक्तर संस्वीकृति किया है । उन्होंने यह भी कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अभियोक्त्री बोलने में असमर्थ थी, क्योंकि साक्ष्य से पता चलता है कि यद्यपि वह बोल नहीं पा रही थी, फिर भी वह अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रही थी।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

8. अभियोक्त्री की माता और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराने वाली लक्ष्मी बाई (अभि.सा.-1) ने बताया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अभियुक्त /अपीलार्थी ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया था। उनके अनुसार, घटना वाले दिन जब वह किराने की दुकान गई थीं, तब उनकी बेटी (अभियोक्त्री) घर में अभियुक्त /अपीलार्थी के साथ खेल रही थी। लगभग आधे घंटे बाद जब वह घर लौटीं, तो उन्होंने अपनी बेटी को दरवाजे पर खड़े रोते हुए पाया और

पूछने पर उसने बताया कि अभियुक्त /अपीलार्थी ने उनके अंतर्वस्त्र उतार दिए थे। अंतर्वस्त्र उतारने का कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि अंतर्वस्त्र उतारने के बाद उसने उन्हें पलंग पर लिटाया और उनके साथ लैंगिक संभोग करने का प्रयास किया । इस गवाह ने आगे बताया कि जब उसने अपनी बेटी के अंतर्वस्त्र उतारने के बाद देखा, तो उसके गुप्तांग पर लालिमा थी। इसके बाद, उसने घटना की सूचना लक्ष्मी बाई वर्मा, अजू मुकुद, लिखी नायक आदि को दी और फिर शिकायत दर्ज कराई गई। उसने आगे बताया कि पंचायत की बैठक बुलाई गई, जहां अभियुक्त /अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार किया और क्षमा मांगी। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने बताया कि घटना के समय उसकी बेटी की उम्र लगभग ढाई साल थी, लेकिन उसे उसकी जन्मतिथि याद नहीं थी। उसके अनुसार, वह अभियुक्त /अपीलार्थी के घर में किराएदार के रूप में रहती थी और उसके घर के बगल में लक्ष्मी वर्मा और रवि वर्मा भी किराएदार के रूप में रहते थे। उसने बताया कि उसका पति सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उसके अनुसार, अभियुक्त /अपीलार्थी का कमरा उसके कमरे से लगभग 70 फीट दूर था और बीच में अन्य किराएदार भी रहते थे। उसने बताया कि अगर कोई उसके कमरे से आवाज उठाता है, तो वह अपीलार्थी के कमरे में भी सुनाई देती है और अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो अभियुक्त /अपीलार्थी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना बरसात के मौसम में हुई थी और इस मौसम में कीड़े-मकोड़े दिखाई देते हैं। जब वह अपीलार्थी के घर में किराएदार के रूप में रहने आई थी, तब उसकी बेटी की उम्र लगभग डेढ़ साल थी और घटना के समय उसकी उम्र ढाई साल थी। उसने कहा है कि यह कहना गलत है कि घटना के समय उसकी बेटी ठीक से बोल नहीं पाती थी। उसके अनुसार, जब वह किराने की दुकान पर गई थीं, तब उसकी बेटी अभियुक्त /अपीलार्थी के साथ खेल रही थी और दूसरा किरायेदार आंगन में नहा रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उसका बयान (प्रदर्श डी-1) को अभिलिखित करते समय उसने बताया था कि जब वह किराने की दुकान पर गई थीं, तब उसकी बेटी अभियुक्त /अपीलार्थी के साथ खेल रही थी और अगर इसका उल्लेख उसमें नहीं है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकतीं। इस गवाह के अनुसार, जब वह किराने की दुकान से लौटीं, तो उसकी बेटी दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी, जबकि अभियुक्त /अपीलार्थी दरवाजा बंद करके अपने घर में सो रहा था और बार-बार पूछे जाने के बावजूद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने नीलम बाई, रोहिणी बाई और रोहिणी बाई के बेटे की उपस्थिति में अभियोक्त्री से पूछताछ की और उनकी उपस्थिति में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री का अंतर्वस्त्र निकाला और पाया कि उसके गुप्तांग में सूजन थी और उसे पेशाब करने में कठिनाई हो रही थी। अपने बयान के कंडिका 8 में, इस गवाह ने इस बात से इनकार किया कि पिछले दो महीनों से अभियुक्त /अपीलार्थी को किराया नहीं दिया जा सका था। फिर उसने बताया कि घटना से 8-10 दिन पहले रायपुर में अपनी पायल (सांटी) बेचकर किराया दिया गया था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्त /अपीलार्थी ने उसे घर खाली करने के लिए कहा था। उसने बताया कि शाम करीब 5 बजे पंचायत की बैठक हुई थी और पंचायत के लोग उसे पुलिस थाना जाने से रोक रहे थे, यह कहते हुए कि मामला गांव में ही सुलझ जाएगा। हालांकि, अंततः शिकायत दर्ज कराई गई। स्थानीय चुनाव के संबंध में इस गवाह के सामने कई सुझाव रखे गए, लेकिन वे महत्वहीन हैं।

खिलवान वर्मा (अभि.सा.-2) - अभियोक्त्री के पिता ने बताया कि घटना वाले दिन जब वह दोपहर के भोजन के लिए अपने घर आया, तो उसने वहाँ भीड़ देखी और अपनी पत्नी से पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ अभियुक्त /अपीलार्थी ने बलात्कार किया है। इसके बाद, उसने गाँव के बड़े-बुजुर्गों को घटना की सूचना दी और शाम लगभग 5 बजे पंचायत की बैठक बुलाई गई, जहाँ अभियुक्त /अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार किया। जब वे अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि पहले उन्हें जाकर पुलिस में मामला दर्ज कराना चाहिए। अपने बयान के कंडिका 5 में उन्होंने बताया है कि पंचायत की पहली बैठक दोपहर 1 बजे बुलाई गई थी। कंडिका 7 में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि केशव राम वर्मा, जो संयोग से उनके बहनोई थे, सरपंच का चुनाव लड़े थे और उनकी अभियुक्त /अपीलार्थी से दुश्मनी थी। अशोक कुमार (अभि.सा.-3); केशव राम (अभि.सा.-4) और केजू राम (अभि.सा.-7) अभियुक्त /अपीलार्थी द्वारा किए गए न्यायियेक्तर संस्वीकृति के गवाह हैं, लेकिन विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय की कंडिका 9 में उक्त न्यायियेक्तर संस्वीकृति पर विश्वास नहीं किया है। अर्जुन (अभि.सा.-5), रिखीराम (अभि.सा.-6) और सहसराम (अभि.सा.- 9) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। डॉ. (श्रीमती) मीरा बघेल (अभि.सा.- 8), जिन्होंने अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण किया, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, उसकी कौमार्य की झिल्ली बरकरार थी और योनि को छूने पर उसे दर्द हो रहा था, चोट किसी कठोर या भोथरे वस्तु से लग सकती थी। अपने साक्ष्य के कंडिका 11 में उन्होंने कहा है कि अभियोक्त्री को लगी चोट किसी कीड़े

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के काटने से भी हो सकती है। उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा (अभि.सा.-10) जांच अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। सहायक उप-निरीक्षक हरिल सिदार (अभि.सा.-11) वह गवाह हैं जिन्होंने कुछ भाग का अन्वेषण किया और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज किया । दुकलहा राम साहू (ब.सा.-1) ने बताया है कि अभियोक्त्री के पिता अभियुक्त /अपीलार्थी के घर में किराएदार के रूप में रह रहे थे और उनके बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद अभियुक्त /अपीलार्थी के पिता ने अभियोक्त्री के पिता को घर खाली करने के लिए कहा था।

9. गवाहों के साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि घटना वाले दिन अभियोक्त्री के माता-पिता अभियुक्त /अपीलार्थी के घर में किराएदार के रूप में रह रहे थे और एक बार उसे किराया चुकाने के लिए अपनी पायल (सांटी) बेचनी पड़ी थी। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि घटना के समय अभियोक्त्री (जिसकी गवाही नहीं ली गई) लगभग ढाई वर्ष की नाबालिग लड़की थी और दिनांक 23.4.1996 को जब उसे कथन अभिलिखित कराने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, तो संबंधित न्यायाधीश ने स्वयं अपने आदेश पत्र में यह अभिलिखित किया है कि ढाई वर्ष की बच्ची होने के कारण वह बोलने की स्थिति में नहीं थी और अंततः लोक अभियोजक ने उसका साक्ष्य नहीं कराया था। अभियोक्त्री की मां और शिकायत दर्ज कराने वाली ने जो कहानी सुनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किराने की दुकान से लौटने पर उन्होंने अपनी बेटी (अभियोक्त्री) को रोते हुए पाया और पूछे जाने पर उसने अपने अंतर्वस्त्र उतार दिए, जिससे अभियुक्त /अपीलार्थी को यह संकेत मिला कि उसने उनके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग करने का प्रयास किया था, वह इतनी छोटी बच्ची के मुंह से निकली कहानी से कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ाकर लगती है। यह मानना बहुत मुश्किल है कि ढाई साल की बच्ची, जो निस्संदेह ठीक से बोलने की स्थिति में नहीं थी, घटना का इतना स्पष्ट विवरण दे सकती थी जितना उसकी मां ने बताया है। बेशक, अभियोक्त्री की चिकित्सा जांच में उसके गुप्तांग पर सूजन देखी गई, लेकिन स्वयं डॉक्टर के अनुसार, ऐसी चोट किसी कीड़े के काटने से भी हो सकती है। गवाहों के साक्ष्यों से यह बात सामने आई है कि अभियोक्त्री के माता-पिता अभियुक्त /अपीलार्थी के घर में किराएदार के रूप में रह रहे थे और दुकालहा राम साहू (ब.सा.-1) के अनुसार, एक बार दोनों परिवारों के बीच किराए के भुगतान को लेकर कुछ विवाद हुआ था, इसलिए उनके संबंधों में खटास आने और अंततः झूठी कहानी गढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि संबंधित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समय में अभियुक्त /अपीलार्थी किशोर अवस्था में था और इसलिए घटना के बाद व्याप्त अराजक स्थिति से विवश होकर उसने तथाकथित न्यायियेक्तर संस्वीकृति दिया होगा, लेकिन यह उसकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं था। यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियुक्त /अपीलार्थी द्वारा दिए गए न्यायियेक्तर संस्वीकृति के बाद पंजीबद्ध की गई थी, फिर भी अभियोक्त्री की मां ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराते समय पुलिस को इस बात का खुलासा नहीं किया था, इसलिए न्यायियेक्तर संस्वीकृति की बात भी संदिग्ध हो जाती है। बेशक, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरती है, लेकिन केवल यही दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता; इसके लिए विधिक साक्ष्य होना आवश्यक है।

10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा है और तदनुसार अभियुक्त /अपीलार्थी को इसका लाभ मिलना चाहिए। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित हैं, स्थिर नहीं रखा सकता है । अतः अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अभियुक्त /अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसका बंधपत्र निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ... Niraj Baghel, Advocate